छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1041/2007

1. श्री खेलनराम वर्मा, – *अपीलार्थी*
ग्राम–चंदना, विकासखण्ड–मगरलोड़,
जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* – *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम–चंदना, विकासखण्ड–मगरलोड़,
जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 27 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री खेलनराम वर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–चंदना, विकासखण्ड–मगरलोड़, जिला–धमतरी के समक्ष दिनांक 14.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समक्ष दिनांक 20.08.2007 को अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने दिनांक 04.10.2007 को सचिव/जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत–चंदना को एक सप्ताह में जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी प्रदाय नहीं कराने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 31.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी अपूर्ण जानकारी देने का उल्लेख अपीलार्थी ने बाद में किया है । सचिव ने बताया कि उन्होंने फीस की सूचना दी थी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार किया गया, किन्तु फीस की सूचना विलंब से दी गई थी, अतः प्रकरण में आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि विस्तृत जानकारी होने के कारण संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे यदि उससे अधिक की चाहे तो शुल्क लेकर दी जावे । किन्तु इस आदेश के बाद भी अपीलार्थी को निरीक्षण हेतु शुल्क देने की सूचना दी गई, जो सचिव ने भ्रम के कारण देना बताया और बाद में उन्हें सूचित किया गया और उसके बाद समस्त रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करा दिया गया तथा राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी गई और शेष जानकारी शुल्क लेकर दी गई । प्रकरण में अपीलार्थी ने बताया राशि 6456/– रूपये का शुल्क जमा कराकर जानकारी ली है, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक को उनके द्वारा बताया गया कि केश बुक की प्रतिलिपि और तीन पास बुक बैंक की जानकारी नहीं दी गई है तथा वाऊचर भी नहीं दिखाया गया है और कुछ जानकारी उन्हें अनावश्यक अथवा दोहरा रिकार्ड दे दिया गया है । इस प्रकरण में आवेदन के बाद

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

शुल्क की सूचना विलंब से दिया जाना तो सिद्ध होता है और दिनांक 28.08.2008 तक श्री हेमाराम वर्मा, सचिव रहे थे और दिनांक 28.08.2008 के बाद श्री अशोक साहू, सचिव रहे थे, अतः जानकारी देने में भी इन दोनों ही सचिव द्वारा थोड़ा विलंब और अपूर्ण जानकारी देने की बात सिद्ध होती है, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मगरलोड़ को अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की जाती है कि इन दोनों सचिवों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मगरलोड़ को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जो जानकारी अब शेष बतायी जा रही है, वह जानकारी सचिव, ग्राम पंचायत से अपीलार्थी को निःशुल्क दिलवाई जावे । साथ ही दी गई जानकारी का वे स्वयं निरीक्षण कर लें, यदि कोई जानकारी अनावश्यक या दोहरी दिया जाना पाया जाता है तथा उसका अधिक शुल्क जमा किया गया हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मगरलोड़ द्वारा गणना करके अधिक शुल्क की राशि सचिव, ग्राम पंचायत से उन्हें वापस लौटाया जावे । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत पंचायत की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे, जो दिनांक 06.09.2008 को उन्हें भुगतान किया जा चुका है । किन्तु उसके बाद भी चूंकि विलंब किया गया है और अपीलार्थी का व्यय हुआ है, अतः पूर्व में भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त राशि 250/– रूपये और पंचायत की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com